(c) what action Government proposes to take to save the foreign tourists from being cheated in the country?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) to (c) Law enforcing agencies take suitable action as and when any incident of crime against foreign tourists is reported. Appropriate measures are taken to prevent such crimes. Tourist Police booths have been set up and Tourist Police vehicles have been stationed at strategic locations in the capital by Delhi Police to check such crimes.

**इंडियन एअरलाइन्स के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत**

3165. डा० बापू कालदातेः
श्री विश्वासराव रामराव पाटिलः

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(अ) क्या यह सच है कि इंडियन एअरलाइन्स के प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को 1 सितम्बर, 1990 से अन्तरिम राहत के भुगतान के लिए एक प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अनुमोदन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक अनुमोदन कर दिया जायेगा?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)**: (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औद्योगिक न्यायाधिकरण जिसे, 1-9-1990 से इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के वेतन का प्रश्न भेजा गया है, के अधिनिर्णय की शर्तों के अनुसार समंजन के अंतर्गत, उन्हें अंतरिम राहत दिये जाने का प्रस्ताव है।

**इंडियन एअरलाइंस कर्मचारियों का वेतन समझौता**

3166. डा० बापू कालदातेः क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एअरलाइंस में पहले का वेतन समझौता 30 सितम्बर, 1990 को समाप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो नये वेतन समझौते में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) नया वेतन समझौता कब तक हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार नये वेतन समझौते को अंतिम रूप दिये जाने का अंतरिम राहत देने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)**: (क) से (ग) यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ किया गया वेतन समझौता 31.8.90 को समाप्त हो गया। 1.9.90 से 5 वर्ष की अवधि के लिये इंडियन एअरलाइंस के कर्मचारियों के वेतन का प्रश्न राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है।

(घ) से (च) न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय की शर्तों के अनुसार, समंजन के आधार पर, अंतरिम राहत दिए जाने का प्रस्ताव है।

**Losses suffered by Indian Air Lines**

3167. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
CHOWDHARY HARI SINGH:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer to the answer to UnStarred Question 26 given in the Rajya Sabha on 24th November, 1992 and State;

(a) whether it is a fact that Indian Airlines suffered a loss many times higher than the budgeted loss of Rs. 64.60 crores during 1991-92; and

(b) if so, what was the actual loss during 1991-92 and how it compared with that registered in 1990-91 and 1989-90?